अनुसार दीघाघाट और महेन्द्रूघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) से स्टीमर पहलेजाघाट जाने के बजाये हाजीपुर या उसके आस पास किसी स्थान पर जायेंगे और पहलेजाघाट के स्थान पर एक और घाट बनवाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). सोनपुर-हाजीपुर के इकहरी लाइन वाले सेक्शन पर गाड़ियों की भीड़-भाड़ कम करने के लिये इस तरह के एक सुझाव पर विचार हुआ था, लेकिन इसमें कई खामियां (disadvantages) थीं जिसकी वजह से इसे छोड़ दिया गया है । लेकिन सोनपुर और हाजीपुर से गण्डक नदी के पुल तक दोहरी लाइन बिछाने का इन्तजाम कर दिया गया है । गण्डक नदी पर दोहरी लाइन का पुल बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई थी और यदि की गई थी तो उसमें गवर्नमेंट का क्या व्यय हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जांच पड़ताल तो मेरे खयाल में कुछ हुई थी मगर उसमें कुछ इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ जिससे माननीय सदस्य को चिन्ता हो ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : महेन्द्रूघाट से पहलेजाघाट जो जहाज जाते हैं क्या उनकी रफ्तार में और उनकी फिक्वेंसी में कुछ और वृद्धि होगी या इनकी रफ्तार और फिक्वेंसी उतनी ही रहेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : तेजी तो हम हर तरफ चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि अगर अच्छे स्टीमर आ जायेंगे तो उधर भी तेजी हो ।

खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना और ले जाना

*१११९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) तथा (ख). खाद्यान्न का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कुछ राज्यों से प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं । जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों का सम्बन्ध है, भारत की सीमा से उस पार छिप कर खाद्यान्न ले जाने को रोकने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार की प्रार्थना स्वीकार की गई है और इस राज्य से चावल, धान और इन से बनी हुई चीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । आसाम और पश्चिमी बंगाल की सरकारों को उचित उपाय करने और अपने सीमावर्ती जिलों से खाद्यान्न के लाने और ले जाने के नियमन के लिये अधिकार भी दे दिया गया है । मणिपुर राज्य से खाद्यान्न के निर्यात पर पिछले साल ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । अन्य राज्यों के विषय में सरकार का विचार है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रोक टोक के खाद्यान्न के लाने और ले जाने में दखल देना नहीं चाहिये और देश के किसी भाग में खाद्यान्न की कमी को सरकारी भंडार से खाद्यान्न को उदारतापूर्वक भेज कर पूरा करना चाहिये ।

Shri Achuthan : The answer may be read in English also.

Mr. Speaker : Yes.